न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 102/2017

1– श्री अमरदीपसिंह पुत्र स्व0 श्री रणवीरसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत
2– श्री ईश्वरसिंह पुत्र स्व0 श्री रणवीरसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत
3– श्रीमति पुष्पाकंवर पत्नि स्व0 श्री रणवीरसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत
समस्त निवासीयान ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0

————वादीगण

ब ना म

1– श्रीमति गीगागंवर उर्फ कैलाशकंवर पत्नि श्री कृष्णपालसिंह शक्तावत पुत्री स्व0 श्री रणइन्द्रमहावीरसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम घटियावली तहसील चित्तोडगढ जिला–चित्तौडगढ राज0
2– श्री लालसिंह पुत्र स्व0 श्री रणइन्द्रमहावीरसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0
3– श्री प्रहलादसिंह पुत्र स्व0 श्री रणइन्द्रमहावीरसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0
4– श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री रणइन्द्रमहावीरसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0
5– श्रीमति नरेन्द्रकंवर पत्नि स्व0 श्री चन्द्रभानसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0
6– श्रीमति प्रतिभाकंवर पत्नि श्री कुबेरसिंह पुत्री स्व0 श्री चन्द्रभानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राल झीलवाडा वाया गढबोर चारभुजा तहसील कुम्भलगढ जिला– राजसमंद राज0
7– श्रीमति चित्राकंवर पत्नि श्री गुणवन्तसिंह कच्छावा पुत्री स्व0 श्री चन्द्रभानसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी यू0आई0टी0के पीछे सुभाषनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज0
8– श्रीमति मनभरकंवर पत्नि श्री विजयसिंह चन्द्रावत पुत्री स्व0 श्री चन्द्रभानसिंह जी उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम छोटी सोयत पोस्ट सोयत खुर्द तहसील सुसनेर जिला शाहजपुरा (मध्यप्रदेश)
9– श्रीमति रश्मिकंवर पत्नि श्री भगवानसिंह पुत्री स्व0 श्री चन्द्रभानसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0
10– श्रीमति तृप्तिकंवर पत्नि श्री भगवतसिंह खंगारोत पुत्री स्व0 श्री चन्द्रभानसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम कूकड पोस्ट मोर तहसील टोडारायसिंह जिला–टोंक राज0
11– श्री प्रतापसिंह पुत्र स्व0 श्री चन्द्रभानसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0
12– श्रीमति भंवरकंवर पत्नि श्री भंवरसिंह पुत्री स्व0 श्री रणवीरसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम मकान नंबर बी–175 न्यू सांगानेर कॉलोनी अहिंसा सर्किल कोटा रोड, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज0
13– श्रीमति जनककंवर पत्नि श्री दशरथसिंह पुत्री स्व0 श्री रणवीरसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम व पोस्ट बडला तहसील कोटडी जिला–भीलवाडा
14– श्रीमति अनिताकंवर पत्नि श्री भगवानसिंह पुत्री स्व0 श्री हुक्मसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी मकान नंबर 43 गोधा जी का मकान बी0के0कोल नगर फायसागर रोड, अजमेर तहसील व जिला अजमेर राज0
15– श्री भंवरसिंह पुत्र स्व0 श्री हुक्मसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0
16– श्रीमति गोविन्दकंवर पत्नि श्री बृजरासिंह हाडा पुत्री स्व0 श्री रघुवीरसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम अडीला पोस्ट कापरेन तहसील केशवरायपाटन जिला–बून्दी राज0

.....लगातार

17– श्रीमति बबलीकंवर पत्नि श्री ज्वालासिंह चुण्डावात पुत्री स्व0 श्री रघुवीरसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम देवलिया पोस्ट सिंगोली तहसील माण्डलगढ जिला–भीलवाडा राज0

18– श्री ओमेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रघुवीरसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0

19– श्रीमति राजकंवर पत्नि स्व0 श्री जितेन्द्रसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0

20– श्री कीर्तिवर्धनसिंह पुत्र स्व0 श्री जितेन्द्रसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0

21– श्रीमति खुमानकंवर पत्नि श्री लालसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0

22– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0

23– उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय विजयनगर जिला–अजमेर राज0

————प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी जो वादपत्र संख्या 102/2017 अंतर्गत धारा 53 ए 188, राज0 काश्त0 अधि0 पर प्रस्तुत हुआ।

आदेश दिनांक 22.12.2017

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एंव सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत कर सारांशतः निवेदन किया है, वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में ग्राम नगर पटवार हल्का शिखरानी के खाता संख्या 76, 441, 352, 242, 205, 110, 109, 105, 488, 106, 259, 279, 517 के बाबत वाद पत्र पेश किया जिसमें वादीगण द्वारा अपने हिस्से बाबत संयुक्त आराजियात बताकर वाद पत्र पेश कर अपना हिस्सा विभाजन का वाद पेश किया है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र वर्णित आराजियात में अपना हिस्सा कितना है और कितने हिस्से के अनुसार विभाजन चाह रहा है इस बाबत अपने वाद पत्र में कही पर भी हिस्सा का अंकन नही किया है। वादीगण को उक्त वाद पत्र पेश करने का कोई वादा आधार नही होता है और ना ही वाद कारण बनता है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्यो को नकारते हुये जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 की पैतृक आराजियात है, के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कराये जाने हेतू वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है, जो कि वादीगण का अधिकार है। उक्त आराजियात में कितना हिस्सा है वह तो साक्ष्य से या दस्तावेजी साक्ष्य से ही न्यायालय द्वारा तय किया जायेगा। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 ने वादीगण की माननीय न्यायालय से अन्तरिम निषेधाज्ञा के निवेदन को टालने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधान तब लागू होते है जब कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किय जाने का निवेदन किया। वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया और समर्थन में लिखित बहस एंव न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे0 2013 (3) पेज 1219 राज0, आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 356, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 1395, डी0एन0जे0 2015 (रेवेन्यू) पेज 189, आर0बी0जे0 2015 पेज 22, आर0बी0जे0 2015 पेज 513, ए0आई0आर0 2012 पेज 3023 सुप्रीमकोर्ट, आर0आर0टी0 2011(1) पेज 367, डी0एन0जे0 2013 (रेवेन्यू) पेज 95, डी0एन0जे0 2013 (रेवेन्यू) पेज 207, प्रस्तुत की गई।

.....लगातार

राजस्व वाद पत्र संख्या 102 सन् 2017

श्री अमरदीप सिंह व अन्य बनाम श्रीमती गीगा कंवर व अन्य

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी जो वादपत्र संख्या 102/2017 अंतर्गत धारा 53 ए 188, राज0 काश्त0 अधि0 पर प्रस्तुत हुआ।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा न्यायिक दृष्टांत का भी सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद धारा 53ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। **जबकि धारा 53 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह स्पष्ट अंकित है, कि (क) भूमि–क्षैत्र के उक्त विभाजन, (ख) उन कई भागो पर जिनमें भूमि–क्षैत्र उक्त रूपेण विभाजित किया गया हो, लगान के बंटवारे, के संबंध में इकरार द्वारा अथवा (!!) भूमि–क्षैत्र के विभाजन तथा जिन कई भागो में वह विभाजित किया जाय उन पर उस भूमि–क्षैत्र के लगान के बंटवारे के प्रयोजनार्थ सह–आसामियो में से एक या अधिक सह–आसामियो द्वारा दायर किये गये दावे में सक्षम न्यायालय द्वारा पारीत डिक्री अथवा आदेश के जरिये।** जबकि वादीगण ने अपने वाद पत्र में वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमियां होने का कथन करते हुये विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। जबकि धारा 53 ए में स्पष्ट प्रावधान है, कि सहखातेदार ही विभाजन का दावा प्रस्तुत कर सकता है। जबकि राजस्व रेकार्ड अनुसार वादीगण विवादित भूमियो के सहखातेदार भी नही होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी वादीगण ने अपने वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष नही चाहा गया, ऐसी स्थिति में वादीगण बिना स्वयं को खातेदार घोषित करवाए कानूनन विभाजन का दावा लाने के अधिकारी नही होना पाया जाता है। जो वादीगण ने न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है, वह इस प्रकरण में वर्णित तथ्यो पर लागू नही होते है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विधि वर्जित होने से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद, प्रतिवादीगण के विरूद्ध निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 22/12/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 17:35:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: